सत्यप्रति लिपि

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :रायबरेली,तहसील :डलमऊ
वाद संख्या :-00200/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201910580500200
श्रीमती शिवा मौर्या बनाम गावसभा चरुहार जियायक
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी श्रीमती शिवा मौर्य पत्नी स्वामी प्रसाद मौर्य निवासिनी ग्राम 6/237ई विपुल खण्ड गोमती नगर लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0 रा0 संहिता 2006 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार पत्रावली तहसीलदार डलमऊ के पास जांच हेतु भेजी गयी। तहसीलदार डलमऊ ने क्षेत्रीय लेखपाल/ रा0नि0 की जांच आख्या को अपनी संस्तुति सहित न्यायालय मे प्रेषित किया है। जांच आख्या मे उल्लिखित किया गया है कि ग्राम चरुहार जियायक पर0 व तह0 डलमऊ जिला रायबरेली की खतौनी सन 1425 ता 1430फ0 के खाता संख्या 693 की गाटा संख्या 1204मि0 रकबा 0.1900 भूमि बैनामें से अर्जित की गयी है। उक्त भूमि मौके पर महामाया एजूकेशन ट्रस्ट चरुहार जियायक द्वारा प्रबन्धक श्रीमती शिवामौर्या पत्नी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य निवासी मकान नं0 6/237ई विपुल खण्ड गोमती नगर बक्शी तालाब लखनऊ दर्ज कागजात है। उक्त भूमि अकृषिक प्रयोग में है। तहसीलदार डलमऊ की जांच आख्या प्राप्त हुई। जांच आख्यानुसार ग्राम चरुहार जियायक प0 व तह0-डलमऊ, जिला-रायबरेली की खाता संख्या 693 व गाटा संख्या 1204मि0 रकबा 0.1900हे0 पर वादी श्रीमती शिवामौर्या पत्नी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य निवासी ग्राम मकान नं0 6/237ई विपुल खण्ड गोमती नगर बक्शी तालाब लखनऊ द्वारा प्रश्नगत खाते के अन्य सहखातेदारों की ओर से बयान अंकित कराया गया है। आवेदक द्वारा नियत शुल्क रूपये 975/-चालान संख्या 4/24.01.2019 व रूपये 18.525/-चालान संख्या 4/30.01.2019 द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जा चुका है। वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया, एवं पत्रावली का अनुशीलन किया गया। तहसीलदार डलमऊ की जांच आख्या एवं पत्रावली पर रक्षित साक्ष्यों के आधार उक्त भूमि धारा 80 उ0प्र0रा0 संहिता 2006 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित करते हुए भूराजस्व से मुक्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत प्रतीत होता है।

आदेश

अतएव ग्राम चरुहार जियायक प0 व तह0-डलमऊ, जिला-रायबरेली की खतौनी फसली सन 1425 ता 1430फ0 की खाता संख्या 693 की गाटा संख्या 1204मि रकबा 0.190 पर अंकित खातेदार श्रीमती शिवा मौर्य पत्नी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य निवासी ग्राम 6/237ई विपुल खण्ड गोमती नगर लखनऊ क्षेत्रफल 0.190हे0 जो कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जा रही है, को अकृषिक घोषित करने के साथ-साथ भू0रा0 से मुक्त की जाती है। इस आदेश का अंकन प्रश्नगत खाते की खतौनी में खातेदार के नाम के सम्मुख सुसंगत स्तम्भ में किया जाय और आगे निर्मित होने वाली खतौनियों में इसका अंकन बराबर होता रहेगा। परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक डलमऊ को विधिवत पंजीकृत किये जाने हेतु भेजी जाय।

दिनांक- 30.1.19

(पी0लाल)
उपजिलाधिकारी, डलमऊ
रायबरेली।

30.1.19